भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 155

25.11.2024 को उत्तर के लिए

पश्चिमी घाट पर अंतिम अधिसूचना

155. एडवोकेट अदूर प्रकाश:
श्री वी. के. श्रीकंदन:
श्री एंटो एन्टोनी:
एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छह राज्यों में पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसए) के रुप में वर्गीकृत करने के लिए अधिसूचना का एक प्रारूप जारी किया है;

(ख) क्या यह सच है कि सभी प्रभावित राज्यों ने ईएसए क्षेत्रों में शामिल किए गए विशिष्ट स्थानों पर आपत्ति जताई है और यदि हां, तो संबंधित राज्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों द्वारा दिये गए सुझावों की समग्र तरीके से फिर से जांच करने के लिए नव नियुक्त समिति की सिफारिश पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी बयौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को अधिसूचना के प्रारूप की अंतिम पुनरावृत्ति के बाद पश्चिमी घाट संरक्षण रिपोर्ट पर ईएसए के रूप में सीमांकित गांवों को बाहर करने के लिए केरल सहित राज्यों से सुझाव/प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की राज्य-वार प्रतिक्रिया क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसार गोवा में एक केंद्रीय दल की नियुक्ति की है और यदि हां, तो दल की सिफारिशों का ब्यौरा क्या और इस संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित डां. कस्तूरीरंगन पैनल की रिपोर्ट पर अंतिम अधिसूचना के बारे में कोई निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और अंतिम अधिसूचना कब तक जारी होगी/जारी होने की संभावना है; और

(छ) क्या सरकार ने राज्यों के लिए अलग-अलग अंतिम अधिसूचना पर विचार किया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) इस मंत्रालय ने उच्च स्तरीय कार्य समूह (एचएलडब्ल्यूजी) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर पश्चिमी घाट की समृद्ध जैव विविधता की संरक्षा के लिए दिनांक 31.07.2024 के का.आ. 3060 (अ)

के तहत छह राज्यों अर्थात् गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में फैले 56,825 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र संबंधी मसौदा अधिसूचना जारी की है।

(ग) से (छ) इसके अतिरिक्त, इस मसौदा अधिसूचना को अंतिम रूप देते समय संबंधित राज्य सरकारों सहित हितधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए मंत्रालय ने आपदा संभावित प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण पहलुओं तथा क्षेत्र के अधिकारों, विशेषाधिकारों, आवश्यकताओं और विकासात्मक आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में प्राप्त सुझावों की समग्र रूप से जांच करने के लिए एक समिति गठित की है।

केरल सरकार ने दिनांक 02.11.2024 को एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें स्थानीय स्वशासी विभाग से प्राप्त सुझावों के सत्यापन के आधार पर 12 जिलों के 29 तालुकाओं में फैले 98 गांवों को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का अनुरोध किया गया है। यह समिति समय-समय पर गोवा सहित सभी राज्यों का दौरा करती है और अपनी अनुशंसाएं देती है। संबंधित राज्य सरकारों ने दिनांक 31.07.2024 की मसौदा अधिसूचना पर अपने सुझाव/अनुशंसाएं प्रस्तुत की हैं, जिन पर इस समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया है।

*****